

सं. S-66013/1/2011-IR(PL)

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकित 4 अप्रैल, 2013

प्रेषित

- 1) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- 2) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
- 3) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
- 4) मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
- 5) मुख्य सचिव, गुजरात राज्य सरकार
- 6) मुख्य सचिव, उड़ीसा राज्य सरकार
- 7) मुख्य सचिव, जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार
- 8) मुख्य सचिव, तमिलनाडु राज्य सरकार
- 9) मुख्य सचिव, कर्नाटक राज्य सरकार
- 10) मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य सरकार
- 11) मुख्य सचिव, पंजाब राज्य सरकार
- 12) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार
- 13) नियोक्ता और श्रमिक संगठन
- 14) सहयोजित सदस्य

विषय: सड़क परिवहन उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का पुनर्गठन

महोदय,

सड़क परिवहन पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के गठन पर इस मंत्रालय के पूर्व पत्र सं S-66013/1/2011/IR (PL) दिनांक 25 मई, 2012 का अतिक्रमण करते हुए, तत्काल प्रभाव से सड़क परिवहन पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया जाता है:

सभापति: श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

उप-सभापति: सचिव (श्रम और रोजगार)

I. **सरकारी प्रतिनिधित्व:**

(क) **केन्द्रीय सरकार**

- i) श्रम और रोजगार मंत्रालय
- ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- iii) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

iv) शहरी विकास मंत्रालय

(ख) राज्य सरकारें

आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारें।

II. नियोक्ता प्रतिनिधित्व:

(i) भारतीय नियोक्ता परिषद	2 सीटें
(ii) दिल्ली परिवहन निगम	1 सीट
(iii) उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी)	1 सीट
(iv) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)	1 सीट
(v) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1 सीट
(vi) महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	1 सीट
(vii) ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली	1 सीट
(viii) ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन (एकोगोवा)	1 सीट
कुल	9 सीटें

III. श्रमिक प्रतिनिधित्व:

(i) भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	2 सीटें
(ii) भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू)	2 सीटें
(iii) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)	1 सीट
(iv) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)	1 सीट
(v) हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)	1 सीट
(vi) नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस-धनबाद (एनएफआईटीयू-डीएसएन)	1 सीट
(vii) लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ)	1 सीट
कुल	9 सीटें

IV. सहयोजित सदस्य

- श्री आर. आर. पल्लम राजू, एलआईजी सं 132-133, ए.पी.एच.बी. कालोनी, अमलापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
- श्री सूर्यकांत पांडुरंग मोर, कमरा नं 32, आश्रय भवन, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर नंबर 3, चारको बाजार, कांदिवली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र
- श्री अब्दुल गनी खान निवासी कांत परिस्तान सफा कदल, श्रीनगर, कश्मीर
- श्री प्रकाश पाटिल, घटबोरा ग्राम, बिदर जिला, कर्नाटक

- v. श्री आर. शशिधरन, एस. वरदराजन नायर स्मारक मंदिरम, मंजलीकुलम रोड, थम्पनूर, तिरुवनंतपुरम
- vi. श्री पी. जे जोय, पूर्व विधायक, पुथुशेरी हाउस, एमसी रोड, अंगमाली, केरल
- vii. श्री राजीव, 'पर्ल, रिपब्लिक रोड, अर्नजपलम, पी.ओ., कोजहीकोडे, केरल

2. औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का कार्य सभी हितधारकों के बीच समस्याओं की एक बेहतर समझ लाने के लिए, उन समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर चर्चा करना और ऐसी समस्याओं के समाधान में सलाह देना है, जो सड़क परिवहन उद्योग के लिए विशेष हैं।

3. सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए अपने साथ एक सलाहकार ला सकते हैं। हालांकि, सलाहकार को बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय द्वारा टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. सभी सदस्यों से कार्य-सूची की मर्दें/मुद्दे चर्चा के लिए, 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, यदि पहले नहीं भेजे गए हैं, ताकि मंत्रालय सड़क परिवहन उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की पहली बैठक की कार्यसूची को अंतिम रूप देने में सक्षम हो जो, इसके बाद, माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

भवदीय,

(बाबू चेरियन)

उप सचिव (आईआर)

टेलीफैक्स: 23753079

प्रतिलिपि:

1. एलईएम के लिए पीएस
2. एमओएस (एलएंडई) के लिए पीएस
3. सचिव (एलएंडई) के लिए पीएसओ, एस और डीजीएलडब्ल्यू, एस और डीजीईटी, प्रिंसिपल एलईए, संयुक्त सचिव (सीपी)/संयुक्त सचिव (एपी)
4. सीएलसी(सी)/महानिदेशक, ईएसआईसी/निदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़,
5. डीजीएएसएलआई और सभी नीति अनुभाग